Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 1 | JANUARY 2025

भारत में राजनेताओं के दल-बदल के कानून से राजनीति पर प्रभाव

डॉ. रमेश कुमार चावला [1]

[1] **विद्यासम्बल, सहायक प्रोफेसर.**

ABSTRACT:

-

KEYWORDS:

-

PAPER ACCEPTED DATE: 26th January 2025

PAPER PUBLISHED DATE: 30th January 2025

भारत एक लोकतांत्रिक देष हैं। लोकतंत्र का अर्थ जनता का षासन हैं जिसमें जनता स्वयं अपनी सरकार चुनती है। जनता चुनावों में राजनीतिक दलों के द्वारा बहुमत से सत्ता प्राप्त कर देष की षासन व्यवस्था चलाते हैं। एक स्वस्थ व स्वच्छ लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का विषेश योगदान होता हैं। परन्तु दल–बदल की राजनीति, राजनीतिक दलों की भूमिका पर प्रष्नचिन्ह लगा देती हैं।

भारतीय राजनीति में राजनैतिक दलों के नेताओं का एक दल से परिवर्तन करके दूसरे दल में जा मिलना, नया दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरूद्ध मतदान करना 'दल–बदल' कहलाता है। राजनीति में खेले जाने वाले इस दल–बदल को पक्ष परिवर्तन, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में षामिल हो जाना, सदन में सरकारी दल छोड़कर विरोधी दल में मिल जाना, खेमा बदलना भी कहते हैं। दल–बदल हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। इसे और अधिक प्रोत्साहन देकर हम निष्चय ही लोकतंत्र का भला नही कर रहे है।

दल–बदल की परिभाशा के विशय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। अंग्रेजी में इसको अभिव्यक्त करने के लिए 'क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर्स', कार्पेट क्रॉसिंग', 'पॉलिटिक्स ऑफ औपचुनिज्म', 'पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्षन', 'पॉलिटिक्स ऑफ म्यूजिकल चेयर्स', 'पॉलिटिक्स ऑफ होर्स ट्रेडिंग', इत्यादि षब्दों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु इन सब में 'पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्षन' अर्थात 'दल–बदल की राजनीति' षब्द का प्रयोग उपयुक्त प्रतीत होता है।[1]

भारत एक बहुदलीय राश्ट्र हैं। एक अच्छे लोकतंत्र में दल–प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक षासन–प्रणाली कार्य ही नही कर सकती। षासन का रूप चाहे अध्यक्षात्मक हो या संसदीय दल–प्रणाली के बिना षासन का चलाया जाना असंभव हैं। किसी भी षासन में हजारों लोग राज्य की समस्याओं के बारे में सोचते है किन्तु जब तक उनके विचारों और दृश्टिकोणों को राजनीतिक दलों के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित नही किया जा सकता तब तक षासन निश्क्रिय ही बना रहेगा। वस्तुतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करती है।[2]

दल–बदल निरोधक कानून

संविधान (52वां संषोधन) अधिनियम 1985 जिसे दल–बदल निरोधक कानून कहा जाता है, इसके द्वारा अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संषोधन किया गया तथा एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची में यह व्यवस्था की गई की यदि कोई विधायक स्वेच्छा से अपने दल का परित्याग करता है या अपने दल के आदेषों के विरूद्ध सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से विरक्त रहता है तो वह सदस्यता से निरर्हित हो जाएगा अर्थात सदस्यता खो देगा। किन्तु, ऐसी व्यवस्था ऐसी स्थिति में लागू नही होगी जब किसी राजनीतिक दल का विभाजन हो जाए अथवा दूसरे दल में विलय हो जाए। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में पहली बार राजनीतिक दलों का उल्लेख किया गया और इस प्रकार उन्हें कुछ संवैधानिक मान्यता मिली।

संविधान (52वां संषोधन) अधिनियम 1985 का यह अधिनियम 30 और 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ। 15 फरवरी 1985 को राश्ट्रपति की अनुमति मिली और 1 मार्च 1985 से यह लागू हो गया।[3]

बाद में 91वें संविधान संषोधन अधिनियम 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिर्वतन किया गया। इसने एक उपबधों को समाप्त कर दिया अर्थात अब विभाजन के मामले में दलबदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जायेगी।

राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है। राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते है। प्रो. लास्की के षब्दों में, ''आधुनिक राज्यों के भ्रान्तिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके यह आवष्यक है कि वरियता के आधार पर कुछ समस्याओं को तुरन्त निपटाना चाहिए और उनके निदान जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने चाहिए।[4]

प्रो रजनी कोठारी के अनुसार दल–बदल के दो प्रमुख कारण रहे है–चुनाव के पहले टिकट का बंटवारा और चुनाव के बाद मंत्रीमण्डल का गठन। ये कोई नये कारण न थे। नयी बात सिर्फ यह थी की 1967 में और बाद में जितनी आसानी से लोग कांग्रेस छोड़ देते थे, उतना पहले कभी नही देखा गया था। कांग्रेस में उनको बांधकर रखने की षक्ति बहुत कम हो गई थी।[5]

दल–बदल विरोधी कानून में सुप्रीम कोर्ट का 'किहोतो होलोहान' निर्णय

महाराश्ट्र में दसवीं अनुसूची को संवैधानिक चुनौती दी गई। इसमें 'किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हु एवं अन्य'(1992) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया गया। हालांकि इस मामले में स्पीकर के विवेकाधिकारों और षक्तियों को चुनौती दी गई थी। नागालैंड के होलोहान नामक नेता जो तीन बार से विधायक रह चुके थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सुनवाई की थी। न्यायालय के सामने प्रष्न यह था कि क्या स्पीकर को दी गई षक्तियां संविधान की मूल संरचना के विपरीत है। इस मामले में तीन जजों ने ये भी कहा था कि दसवीं अनुसूची में जो ये प्रावधान किया गया है वह सैद्धांतिक है और अनैतिक राजनीतिक दल–बदल पर अंकुष लगाकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र के ताने–बाने को मजबूत करने के इरादे से लाया गया हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्न फैसला दिया थाः–

(i) दल–बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष द्वारा लिया गया फैसला अंतिम नही होता।

(ii) अध्यक्ष के फैसले में त्रूटि होने पर न्यायिक पुनवरालोकन किया जा सकता है।

(iii) दल–बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही के बीच में न्यायिक समीक्षा नही की जा सकती।

(iv) दसवीं अनुसूची के प्रावधान संसद और विधानसभाओं में चुने गये सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नही करते।

(v) ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन भी नही करते।

विभिन्न समितियाँ

दिनेष गोस्वामी समिति – वर्श 1990 में चुनावी सुधारों को लेकर गठित दिनेष गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल–बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए। सम्बंधित सदन के मनोनित सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए यदि वे किसी भी समयकिसी भी राजनीतिक दल में षामिल होते हैं।

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट – वर्श 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व या दो से अधिक पार्टिया यदि गठबंधन कर चुनाव लड़ती है तो दल–बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को ही एक पार्टी के तौर पर माना जाए। राजनीतिक दलों को व्हिप केवल तभी जारी करना चाहिए, जब सरकार की स्थिरता पर खतरा हो तथा जब भी दल के पक्ष में वोट न देने या किसी भी पक्ष को वोट न देने की स्थिति में अयोग्य घोशित करने का आदेष दे देना।

चुनाव आयोग का मत – दल–बदल विरोधी कानून के तहत चुनाव आयोग का मानना है कि उसकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए। दसवीं अनुसूची के तहत आयोग के बाध्यकारी सलाह पर राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

दल–बदल विरोधी कानूनी संबंधित मुद्दें

अनुमान है कि 1957 से 1967 तक की अवधि में अनुसंधानों के अनुसार 542 बार लोगों ने अपने दल बदले हैं। 1967 में चौथे आम चुनाव के प्रथम वर्श में भारत में 430 बार लोगों के दल बदलने का रिकार्ड कायम हुआ हैं। दल–बदलुओं के कारण 16 महीने के भीतर 16 राज्यों में सरकारें गिरी। हरियाणा के विधायक गयालाल ने 15 दिन में ही तीन बार दल–बदल करके हरियाणा की दल–बदल राजनीति में एक नया रिकार्ड कायम किया। उनकी वजह से ही हमें दल–बदल की राजनीति का वाचक एक नया षब्द प्राप्त हुआ 'आया राम, गया राम'।[6]

जुलाई 1979 में जनता पार्टी से दल–बदल के कारण चरणसिंह प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। तब से ही चरणसिंह को पहला दल–बदलू प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। जनवरी 1980 के लोकसभा के निर्वाचनों के बाद कर्नाटक की कांग्रेस और हरियाणा की जनता पार्टी की सरकारें दल–बदल के कारण रातों–रात इन्दिरा कांग्रेस सरकारें बन गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल 47 विधायकों के साथ जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस (आई) में आ गए।

कर्नाटक में भी दल–बदल कानून का मसला देखने को मिला जब 2019 के चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के 105 विधायकों ने दल–बदल कर जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिरा दी। परन्तु स्पीकर द्वारा इन विधायकों पर अयोग्यता को लेकर काफी दिनों तक कोई निर्णय नही लिया गया। इस प्रकार फिर सरकार को अस्थिरता का सामना करना पड़ा।

मध्यप्रदेष में भी दल–बदल की राजनीति देखने को मिलती है। ज्योतिराज सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी और 11 मार्च को बीजेपी में षामिल हो गए। अर्थात अपना दल बदल लिया। ज्योतिराज सिंधिया के साथ–साथ 22 सदस्यों ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि यह कानून सिर्फ विधायकों पर लागू होता है। इसलिए क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया विधायक नही है तो उन पर यह कानून लागू नही होता। परन्तु इन 22 सदस्यों पर दल–बदल कानून लागू होगा।

महाराश्ट्र में 2022 में एकनाथ षिंदे ने षिवसेना के कई विधायकों के साथ मिलकर बगावत कर दी थी। सत्ताधारी के कुछ विधायकों के बागी होने से सरकार अल्पमत में आ गई थी। तब दल–बदल कानून के तहत स्पीकर के पास अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा।

लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले कई सांसदों ने दल–बदल लिये। इसमें राजस्थान से राहुल कस्वां बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस से जुड़े है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर तथा रवनीत बिट्टु, सुषील कुमार रिंकु, कर्नाटक से सुमलता अंबरीष झारखण्ड में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा हैं।

इस दल–बदल विरोधी कानून अधिनियम से भारत में दल–परिवर्तन के निम्न कारक रहे है–

1 पद की लालसा–सत्ता का मोह तथा पद की लालसा ने देष के राजनीतिक वातावरण को बहुत खराब और दूशित कर दिया है। सांसदों व विधायकों के पद पाने की लालसा ने उन्हें लालची बना दिया है। उनकी दृश्टि में नैतिकता व आदर्षों का मूल्य–महत्व कम हो गया है। नेताओं में अवसरवादिता की भावना अत्यधिक हो गई हैं।

2 राजनीतिक दल के नेता के नेतृत्व में कमी–किसी नेता के प्रभावषीलता में कमी आने और उसकी सक्रीयता पर प्रश्ननवाचक चिन्ह लगााकर उसका साथ छोड़ देते हैं। अतः राश्ट्रीय व्यक्तित्व के अभाव में अन्य दलीय सदस्यों पर प्रभाव कम होते देख उससे किनारा कर लिया जाता हैं।

3 नेताओं में आपसी तालमेल न होना–अनेक बार विधायक और दल के नेताओं के बीच व्यक्तिगत संघर्श और स्वभावों के न मिलने के कारण भी कई नेता या विधायक दल छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

4 वरिश्ठता की गरीमा को ख्याल न करना–नेताओं के श्रेश्ठ कार्यों की उपेक्षा करना कई बार अपने दल के लिए खतरनाक साबित होता हैं। पार्टी में टिकटों का बंटवारा न्यायोचित नही होता है। लगभग सभी प्रमुख दलों में दादागिरी करना और उनके अपने समकक्ष नेताओं से अच्छे सम्बन्ध न रखना, ऐसी स्थितियाँ उन्हें दल–बदल के लिए प्रेरित करती हैं।

5 धन का लालच देना–आजकल राजनीति में दलों के द्वारा पद के साथ–साथ धन का भी प्रलोभन दिया जाने लगा हैं। जैसे चुनावों में वोट खरीदने की कोषिष की जाती है वैसे ही दल–बदल करने के लिए विधायकों व सांसदों को धनराषि दी जाने लगी है।

6 विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव–भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों में विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव रहा है। कोई भी विधायक या कोइ नेता किसी भी दल में मिल जाए तो उसके सिद्धान्तों और विचारों पर कोइ खास असर नही पड़ता हैं।

7 दलबदल होने से जनता की उदासीनता–भारतीय मतदाता दल–बदल की घटना से सदा उदासीन ही रहा हैं। दल–बदल होने से न तो साधारण मतदाता को धक्का लगता है और न ही कोई उन्हें चोट पहुँचती है।

8 समर्थन गठबंधन– पूर्ण बहुमत से सत्ता के प्राप्त नही होने पर उन्हें दूसरे दलों से समर्थन लेकर गठबंधन से सरकार बनाते हैं।

9 सत्ता में रहने की इच्छा–कुछ दलों का लक्ष्य सत्ता में रहना ही होता है। अतः वे सत्ता में रहने के लिये दल–बदल करते है ताकि वे नए दल के समर्थन से सत्ता में बने रह सके।

91वें संविधान संषोधन अधिनियम 2003

91वें संविधान संषोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमण्डल का आकार छोटा रखने, निरर्हक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एव ंदल–परिर्वतन विरोधी कानून को सषक्त बनाने के लिए निम्न उपबंध किये गए है[7] :–

1 प्रधानमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिशद का आकार, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिषत से अधिक नही होगा।(अनुच्छेद 75)

2 संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा।

3 मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिशद का आकार, राज्य विधानमण्डल की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिषत से अधिक नही होगा। (अनुच्छेद 164)

4 राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा।

5 संसद या राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा। (अनुच्छेद 361–ख)

6 दसवीं अनुसूची के उपबंध (दल परिवर्तन विरोधी कानून) विभाजन की उस दषा में लागू नहीं होंगे, जब किसी दल के एक–तिहाई सदस्य उस विभाजित धड़े में षामिल हों। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरर्हकों के लिए कोई और संरक्षण नही हैं।

7 छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है।

8 सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुनः चुनाव जीतना होगा।

राजनीतिक दल–बदल होने से मुख्य परिणाम निम्न प्रकार से होते हैः–

सत्ताधारी दलों की विष्वनीयता पर असर

सरकारी नीतियों पर प्रभाव

राजनीतिक अस्थिरता

राजनीतिक समझौते के परिणाम

सरकार का बदलाव

राजनीतिक आदर्षों में बदलाव

राजनीतिक घमासान

दलों की उच्चता–निम्नता में बदलाव

नैतिक मूल्यों में गिरावट

राजनीतिक दलों का विघटन

विदेषों में प्रतिश्ठा की कमी

दल–बदल निरोधक कानून से लाभ

संविधान की दसवीं अनुसूची में जोड़े जाने वाले विधेयक से भारतीय संविधान की राजनीति में निम्न लाभ हुए हैः–

(अ) यह कानून विधायकों की दल–बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है।

(ब) यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में षामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है।

(स) ये राजनीतिक स्तर पर भ्रश्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिषील खर्च को कम करता है।

(द) इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है।

दल–बदल निरोधक कानून का मूल्यांकन

संविधान की दसवीं अनुसूची (जो दल–परिवर्तन विरोधी कानून से संबंधित है) की रूपरेखा राजनीतिक दल–परिवर्तन के दोशों तथा दुश्प्रभावों जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होती है, पर रोक लगाने के लिए की गई है। इसका उद्देष्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धांतिक और अनैतिक दल–परिवर्तन पर रोक लगााना हैं।

डॉ सुभाश काष्यप लिखते है कि ''जिस आसानी से एक दल का परित्याग कर दूसरे दल में सम्मिलित होते हैं उससे एक बात तो स्पश्ट हो जाती है की वे किसी राजनीतिक सिद्धान्त अथवा किसी दल की राजनीतिक विचारधारा को महत्व नही देते। इसके साथ–साथ चूंकि विभिन्न दलों में कोई वास्तविक विचार नही है और उनके मतभेदों का स्वरूप धुंधला है, अतः जब कोई व्यक्ति एक दल से सम्बन्ध–विच्छेद कर किसी अन्य दल में षामिल होता है तो उसमें विचारधारा के परिवर्तन का कोई प्रष्न नही उठता।''[8]

तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। तत्कालीन केन्द्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि 'यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है, तो बावनवें संषोधन विधेयक का दोनों सदनों में एकमत से स्वीकृत होना ही वह प्रमाण है।'

REFERENCES

1. डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ. बी.एल. फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, 2012, पृ. सं. 554

2. एलेन बाल, आधुनिक राजनीति और शासन, मैकमिलन, 1971, पृ. सं. 85

3. सुभाष काश्यप, हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, 2002, पृ. सं. 288

4. लास्की, ए ग्रामर ऑफ पॉलीटिक्स, पृ. सं. 312–313

5. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, पृ. सं. 227

6. डॉ सुभाष काश्यप, दल–बदल और राज्यों की राजनीति, 1970, पृ. सं. 121

7. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था,मेकग्राा हील एजुकेशन, 2017, पृ. सं. 72.4

8. सुभाष काश्यप, दल–बदल और राज्यों की राजनीति, 1970, पृ. सं. 44